



MSMEs में NPA की बढ़ोतरी

प्रलम्बिस् के लयिः

MSME और संबंघति योजनारुँ ।

मेनुस् के लयिः


सरकारी नीतयिँ और हसुतकषेप, MSMEs कषेतर

चरुा में कयुँ?

[भारतीय रजिरव बैक](#) (RBI) और सरकार द्वारा घुषति कई ःरण पुनरुगठन योजनारुँ और पैकेजुँ के बावजूद कुवडि महामारी ने ['सुकषम, लघु एवं मध्यम उदुयमुँ'](#) (MSMEs) कु बहुत अधकि प्रभावति कयिा है ।

- MSMEs की सकल गैर-नुषिपादति परसिपुतुतयिँ (NPAs) या इन उदुयमुँ द्वारा डफिँलुट कयिे गए ःरण, सतिंबर 2021 तुक 20,000 कुरोडु रुपए बढुकर 1,65,732 कुरोडु रुपए का हुे गया, जो सतिंबर 2020 में 1,45,673 कुरोडु रुपए थुा ।
- MSMEs के ['बैड लुन'](#) अब 17.33 लख कुरोडु रुपए के 'सकुल अगुरुमि' (Gross Advances) का 9.6% है, जबकि सतिंबर 2020 में यह 8.2% थुा ।
- इससे पहले MSME मंतुरालय ने 'MSME IDEA HACKATHON 2022' के साथ ['एमएसएमई इनुवेटुवि सुकीम'](#) (इनक्यूबेशन, डजिाइन और IPR) लुँनुच की थी ।

॥



गैर-नष्पादति परसिंपत्तक्या है?

- NPA उन ऋणों या अग्रमिों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है, जो डफिॉल्ट हो जाते हैं या जनिके मूलधन या ब्याज़ का अनुसूचति भुगतान बकाया होता है।
- अधिकतर मामलों में ऋण को गैर-नष्पादति के रूप में तब वर्गीकृत कया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दनिों की अवधि के लयि न कया गया हो।
- शुद्ध गैर-नष्पादति परसिंपत्तक्यिों वह राशि है जो सकल गैर-नष्पादति परसिंपत्तक्यिों से 'प्रोवज़िन अमाउंट' की कटौती के बाद प्रापूत होती है।

MSMEs पर कोवडि-19 का प्रभाव:

- 'बैड लोन' में वृद्ध रज़िर्व बैंक द्वारा जनवरी 2019, फरवरी 2020, अगस्त 2020 और मई 2021 में MSMEs के लयि घोषति चार ऋण पुनर्गठन योजनाओं के बाद भी हुई।
 - इन योजनाओं के तहत 1,16,332 करोड़ रुपए के 24.51 लाख MSMEs खातों के ऋणों का पुनर्गठन कया गया। रज़िर्व बैंक की ओर से जारी मई 2021 के सर्कुलर के तहत 51,467 करोड़ रुपए के ऋणों का पुनर्गठन कया गया।
- महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावति क्षेत्रों में से एक होने के कारण सरकार द्वारा मार्च 2020 में कोवडि महामारी के मद्देनज़र देशव्यापी सखूत लॉकडाउन की घोषणा के बाद हज़ारों MSMEs या तो बंद हो गए या उनकी आर्थकि स्थति खराब हो गई।

MSMEs की स्थति में सुधार हेतु कयि गए प्रयास:

- MSMEs की आर्थकि स्थति में सुधार करने हेतु रज़िर्व बैंक और सरकार ने [आपातकालीन करेडिट लाइन गारंटी योजना \(ECLGS\)](#) सहति कई उपाय पेश कयि, जसिके तहत MSMEs और व्यवसायों को 3 लाख करोड़ रुपए का असुरकषति ऋण प्रदान कया गया।
- रज़िर्व बैंक ने MSMEs को परसिंपत्त वर्गीकरण डाउनग्रेड के बनिा ऋण के एकमुश्त पुनर्गठन की योजना का लाभ उठाने की अनुमति दी और साथ ही कृषि, एमएसएमई व आवास क्षेत्र को ऋण देने हेतु [NBFCs](#) (गैर बैंकिग वतितीय कंपनयिों-एमएफआई के अलावा) को अनुमति दी।
- हालाँकि इन पुनर्गठन योजनाओं और पैकेजों से उन हज़ारों इकाइयों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, जो पहले से ही डफिॉल्ट थीं।
- ऐसा इसलयि है, क्यौंकि ECLGS योजना के तहत पात्र होने के लयि उधारकर्त्ता का बकाया 29 फरवरी, 2020 तक 60 दनिों से कम या 60 दनिों तक का होना चाहयि।
 - [रज़िर्व बैंक की वतितीय स्थरिता रिपोर्ट](#) के अनुसार, मार्च 2021 की तुलना में सतिंबर 2021 के अंत तक MSME सेगमेंट में ऋण (वर्ष-दर-वर्ष) कम हो गया।

NPA/बैड लोन से संबंधति कानून और प्रावधान:

- [सर्फेसी अधनियिम, 2002](#)
- [दवािला और दवािलयिापन संहति \(IBC\)](#)
- [बैड बैंक](#)

वगित वर्षों के प्रश्न

नमिनलखिति में से कौन समावेशी वकिस के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (2011)

1. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
2. सूकषम, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना
3. शकिषा का अधिकार अधनियिम को लागू करना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

